तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
28.02.2022	तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्रांक/गृ.अ./22/2884 दिनांक 16.02.2022 मय प्रा.पत्र ज्यतिन पुत्र अमरपाल एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का 59 एनपी प्रेषित कर निवेदन किया कि जमाबंदी श्यामगढ़ बारानी संवत 2069–2072 खाता सं. 83 में खातेदार का नाम जरिये इन्तकाल सं. 236 दिनांक 05.05.2014 ज्यतिन पि० अमरपाल हि. 1/15 जाति अरोड़ा सा. 66 एनपी दर्ज रिकार्ड हैं। चूंकि जमाबंदी सेग्रीगेशन करते समय प्रार्थी का नाम संहवन/त्रुटि से ज्यतिन पुत्री अमरपाल दर्ज हो गया हैं। अतः मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी का नाम ज्यतिन पुत्री अमरपाल के स्थान पर ज्यतिन पुत्र अमरपाल किया जाना उचित हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदा रायसिंहनगर के संलग्न दजस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रतिलिपियों का अवलोकन किया। श्यामगढ़ बारानी जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता सं. 83 में सीमा पत्नी अमरपाल, गीता, ज्यतिन पि० अमरपाल हर तीन ब.हि.ब. 1/5 हि० कौम अरोड़ा सा. 66 एनपी दर्ज हैं। एवं जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता सं. 34 में ज्यतिन पुत्री अमरपाल हिस्सा 1/15 जाति अरोड़ा साकिन 66 एनपी खातेदार दर्ज हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर अनुसार उक्त त्रुटि सेग्रीगेशन के समय हुई हैं। अतः यह लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित हैं। लिहाजा उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक श्यामगढ़ बारानी के खाता सं. 34 में मु.नं. 87 के कुल रकबा 6.200है. रकबा खातेदार ज्यतिन पुत्री अमरपाल के स्थान पर ज्यतिन पुत्र अमरपाल की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.04.05 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested